आवश्यक शर्ते

1. फ्राई कैचिंग नेट का दर जाल की लम्बाई एवं चौडाई के साथ (3 मीटर चौडाई X 1 मीटर लम्बाई) प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. फ्राई कैचिंग नेट मे उपर एवं नीचे नायलॉन का रस्सी तथा उपर की रस्सी में प्रत्येक दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
3. फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एंव संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
4. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GST in)की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
5. (GST in) रिर्टन वर्ष 2019–20 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आयकर रिर्टन के वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक का देना अनिवार्य होगा।
7. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में फ्राईकैचिंग नेट आपूर्ति करने का विगत एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने तथा उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नही होने का स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आपूर्ति हेतु तैयार एक मीटर लम्बाई का फ्राई कैंचिग नेट का नमूना दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता के नाम व पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दो अलग–अलग निफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में राशि मो0–20000/रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से हजारीबाग में भुगतेय होगा, एवं दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, दर प्रस्ताव (डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय संहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में में डालकर ''फ्राईकैचिंग नेट के लिए निविदा'' अंकित कर तथा लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। निविदा कमिटी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा पहले खोली जायेगी, तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही, वित्तीय निविदा खोली जायेगी इसलिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए,तथा आपूर्तिकर्ता /संबंधित उपक्रम की मुहर होनी चाहिए।
11. निविदा के साथ संलग्न सभी प्रतियॉ/छायाप्रतियॉ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
12. निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता को फ्राई कैचिंग नेट की आपूर्ति गुणवता आधारित मानको के अनुरूप जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग के कार्यालय अथवा कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचा कर आपूर्ति करना होगा, गुणवता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. यदि निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता किसी कारणवश समाग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही दुसरे सफल निविदादाता/ आपूर्तिकार्त/बिक्रेता को मौका दिया जायेगा।
14. निविदा के उपरांत निर्गत कार्यादेश के प्रतिकूल कार्य होने/निविदा की शर्तो का उल्लंघन अथवा कार्य के दौरान किसी भी तरह के कानूनी विवाद होने की स्थिति में निपटारे हेतु क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय, हजारीबाग का होगा।
15. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिर्वतन करने, निविदा आमंत्रण की शर्तो में बिना कारण बताए अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने, अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
16. निविदा दिनांक 11.06.2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन मध्यान 12:00 बजे उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकतें है।

ह0/
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
हजारीबाग।